2021/28

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री गोवर्धन अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र अग्रवाल
जाति अग्रवाल
निवासी 179, पत्थर गली, आबूरोड़
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
पंजीयन व मुद्रांक विभाग
उपपंजीयन कार्यालय आबूरोड़

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 15 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.02.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी पंजीयन व मुद्रांक विभाग उपपंजीयन कार्यालय आबूरोड़ को दिनॉक 14.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सेल डीड नम्बर 2013001191 में पृष्ठ संख्या 3 में क्रम संख्या 7 व पंक्ति नं. 02 व 03 में यह लिखा है कि यह सम्पत्ति का तत्कालीन सिरोही राज्य द्वारा जारी मूल पट्टा नम्बर 48 दिनांक 18.11.1915 गुम हो गया है व काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिल रहा है। अतः यह पंक्ति किन दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई है। उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी पंजीयन व मुद्रांक विभाग उपपंजीयन कार्यालय आबूरोड़ को दिनॉक 14.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सेल डीड नम्बर 2013001191 में पृष्ठ संख्या 3 में क्रम संख्या 7 व पंक्ति नं. 02 व 03 में यह लिखा है कि यह सम्पत्ति का तत्कालीन सिरोही राज्य द्वारा जारी मूल पट्टा नम्बर 48 दिनांक 18.11.1915 गुम हो गया है व काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिल रहा है। अतः यह पंक्ति किन दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई है। उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूँकि पंजीयन व मुद्रांक विभाग उपपंजीयन कार्यालय आबूरोड के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner